



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिक से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹17000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जरिया में पंजीकृत मु०अ०सं०- 73/16 धारा- 354बी, 504,506 भा०द०सं० व 8 पाक्सो एक्ट व 3(1)द, एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय पाक्सो कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जीतू उर्फ जीतेन्द्र पुत्र इन्द्रजीत लोधी उर्फ इन्दर नि० बीरा थाना जरिया जनपद हमीरपुर को 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹17000 के अर्थ दंड से दण्डित किया गया ।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री रूद्रप्रताप
सिंह



विवेचक-
सीओ श्री योगेश
कुमार



पैरोकार- थाना जरिया
का० सन्तोष कुमार